



2026:AHC:162035

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 27051 / 2026

पंकज पाण्डेय

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अनिल कुमार द्विवेदी, दिवाकर मिश्रा, जैनेंद्र पाण्डेय,

रजनीश उपाध्याय

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : अनुराग त्रिपाठी, जी.ए., राहुल कुमार मिश्रा

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जैनेंद्र पाण्डेय, प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग त्रिपाठी के पत्रावली के साथ उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भावेश कुमार विश्वकर्मा और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री प्रतीक दवर, को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 498/2025 अंतर्गत धारा 80(2), 85 बी.एन.एस. और 3/4 दहेज निषेध अधिनियम, पुलिस स्टेशन - नवाबगंज, जिला - प्रयागराज में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक मृतक का पति है, जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। आगे यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि विवेचना के दौरान, मृतक

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के भाई, माता और पिता ने दहेज की मांग पूरी न होने पर मृतक के उत्पीड़न के संबंध में अभियोजन पक्ष के कथानक का समर्थन किया था। हालांकि, विचारण के दौरान, प्रथम सूचनादाता (मृतक का भाई), जिसे पीडब्लू-1 के रूप में परीक्षित किया गया, मृतक की माता, जिसे पीडब्लू-2 के रूप में परीक्षित किया गया, और मृतक के पिता, जिसे पीडब्लू-3 के रूप में परीक्षित किया गया, ने अभियोजन पक्ष के कथानक का समर्थन नहीं किया। इसलिए, विचारण न्यायालय ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया। आज की तिथि में, आवेदक के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है, और उसे मात्र मृतक का पति होने के कारण झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि इस मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक 15.11.2025 से जेल/कारागार में है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की प्रस्तुतियों और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में प्रतिवेदित के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765** में प्रतिवेदित के मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का पात्र है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक - **पंकज पाण्डेय** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

- I. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे कि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सके।
 - II. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/विवेचना में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - III. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
 - IV. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।
7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
9. आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसकी पुष्टि संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ की जाएगी कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

12. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन री: सुओ मोटू रिट पिटीशन (सीआरएल.) संख्या 4 / 2021 दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत (2024) 10 एससीसी 685 में प्रतिवेदित साथ ही साथ पीला पहन @ पीला पहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 में, दिनांक 29.05.2026 को निर्णीत के मामले में कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति संबंधित केंद्रीय जेल प्रयागराज, जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदक को ई-मेल या ई-जेल पोर्टल पर तथा विचारण न्यायालय को ई-मोड के माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजे।

अगस्त 4, 2026

एस.सी.

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।